कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(स्कूल/बी)/2016 दिनांकः मई 19, 2018

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
बी0एन0एस0 स्कूल, कुरूसातों, चौखण्डी रेलवे स्टेशन,
वाराणसी।

विषयः विद्यालय भवन **बी0एन0एस0 स्कूल, कुरूसातों, चौखण्डी रेलवे स्टेशन, वाराणसी** में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भः आपका पत्रांकः बीएनएस स्कूल कुरूसातों/मई/2018 दिनांकः 16.05.2018

कृपया अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो **बी0एन0एस0 स्कूल, कुरूसातों, चौखण्डी रेलवे स्टेशन, वाराणसी** में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त सम्बन्ध में उक्त विद्यालय भवन **बी0एन0एस0 स्कूल, कुरूसातों, चौखण्डी रेलवे स्टेशन, वाराणसी** का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी, भेलूपुर, वाराणसी द्वारा किया गया, प्राप्त उनकी आख्या दिनांकः 19.05.2018 के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आयें:–

A. **भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः**–प्रस्तावित भवन का अधिभोग शैक्षणिक भवन के रुप में उपयोग किया जायेगा। विद्यालय भवन ग्रुप बी–1 के श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी कार्यालय के पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3 (सी/बी)/09 दिनांकः 03.12.2010 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
2. उक्त विद्यालय भवन **भूतल+02** तल तक निर्मित है।
3. पहुँच मार्गः–उक्त स्थल तक अग्निशमन के वाहन पहुँचकर अग्निशमन कार्य कर सकते है।
4. **प्रवेश द्वार की चौड़ाई**–उक्त भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई **5.0** मीटर है।
5. **निकास मार्गः**–उक्त भवन में **दो** स्टेयर केस बनाया गया है।
6. **रिफ्यूज एरिया का विवरणः**– निल

B. **अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः**–एन.बी.सी.–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण पायी गयीः–

1. **टैरेस टैंकः**–उक्त भवन के टैरेस पर टैरेस टैंक 2000 लीटर क्षमता का स्थापित है, विद्यालय भवन के टैरेस पर नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के मानकों के अनुसार टैरेस पर 5000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक वांछनीय है।
2. **टैरेस पम्पः**–उक्त भवन के टैरेस टैंक पर टैरेस टैंक के पास टैरेस पम्प उपलब्ध पाया गया।
3. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)**:–उक्त भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) **16** अदद संतोषजनक दशा में उपलब्ध है, जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क चालान संख्या–वी 190001 दिनांकः 19.05.2018 रूपया– 160/–राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है।
4. **पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टमः**– पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम की व्यवस्था का प्राविधान सम्पूर्ण भवन में किया गया है।

C. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 483/2009 में पारित आदेश दिनांकः 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित है किः–**

1. किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का भवन

—— 2 पर

PRINCIPAL
B.N.S. SCHOOL KURSATO
CHAUKHANDI RAILWAY STATION
VARANASI

MANAGER
B. N. S. SCHOOL
KURSATO, CHAUKHANDI
VARANASI

नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरुप है।

2. समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में एक माह में अग्निशमन यंत्र स्थापित किये जाय।
3. विद्यालय के भवन में ज्वलनशील एवं जहरीलें पदार्थ न रखे जाए और यदि उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाय।
4. समय–समय पर विद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। संबंधित अधिकारी एवं अभियंता इस संबंध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानको के अनुरुप सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल समुचित जॉच के उपरान्त ही प्रदान करेगें। नियमों के विरुद्ध यदि प्रमाण पत्र जारी किये जाते है तो इस संबंध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

D. उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करना भी अनिवार्य होगा:–

1. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाय।
2. शिक्षा (6) अनुभाग के शासनादेश संख्या: 1528/9–6–2008 दिनांक: 20 जुलाई, 2009 का पालन अनिवार्य होगा।
3. फायर सर्विस मुख्यालय,उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश पत्र संख्या: एफ0एस0–1076/2012 दिनांक: 5 अक्टूबर, 2012 का पालन अनिवार्य होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों का उल्लंघन किसी भी दशा न किया जाय।
5. उपरोक्त शर्तो का विचलन होने पर यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की होगी।
6. अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली को ठीक कराये जाने तथा उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने तक भवन का प्रयोग स्वयं की जिम्मेदारी पर किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार **बी0एन0एस0 स्कूल, कुरुसातों, चौखण्डी रेलवे स्टेशन, वाराणसी भवन** में अधिष्ठापित उपरोक्त जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने तथा एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर, विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर, प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर, अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का अग्निशमन नवीनीकरण पत्र निर्गत किया जाता है, जो निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिए वैध होगा।

उपरोक्त किसी भी अग्निशमन व्यवस्था/जीव रक्षा प्रणाली के अकार्यशील होने पर निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

19 MAY 2018

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी

प्रतिलिपि–अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांक: 19.05.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

PRINCIPAL
B.N.S. SCHOOL KURSATO
CHAUKHANDI RAILWAY STATION
VARANASI

MANAGER
B. N. S. SCHOOL
KURSATO, CHAUKHANDI
VARANASI